International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582–2160, Volume: 4, Issue: 4, July-August 2022

# शिक्षा में राजनैतिक हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन

विभाकर उपमन्यु

शोध छात्र
निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

## संक्षेप

शिक्षा और राजनीति के बीच एक जोड़ने वाला सेतु है। शिक्षा ज्ञान का सबसे निकटतम सहयोगी हो सकता है। शिक्षा की प्राथमिक भूमिका एक छात्र के पढ़ने, समझ और समझ में सुधार के माध्यम से शिक्षित करना ही है। कभी पेड़ों के नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते छात्र, कभी तख्ती पर इमला लिखते छात्र और कभी अपने हाथों पर अध्यापकों से डंडे खाते छात्र, शिक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता और महत्ता को दर्शाते थे। तब बैठने को सुविधाजनक डेस्क न सही, स्मार्ट क्लासरूम न सही, पर शिक्षा सौ फीसदी खरी थी। तब विद्यालय से निकलने वाला छात्र सोने की तरह तप कर खरा निकलता था। छात्र-शिक्षक का रिश्ता मर्यादा और अपनेपन की आभास लिए एक सुखद एहसास करवाता था। वक्त ने सब बदल दिया। आज की शिक्षा वह शिक्षा नहीं है, जो संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर चलती थी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षा, राजनीति से अलग नहीं हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिक्षा का राजनीति से गहरा संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देश के शीर्ष नेताओं, गांधी, टैगोर, जाकिर हुसैन जैसी शख्सियत, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बोलते थे, लिखते थे और संस्थानों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते थे। यह भारत का दुर्भाग्य रहा की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चोटी के नेताओं ने शिक्षा के मुद्दों से एक दूरी बना ली। शिक्षा को १९ वीं सदी में ही छोड़कर, हम २१ वीं सदी में आ गए। अब शिक्षा राजनीति करने का मंच और माध्यम बन गई है। शिक्षा का मतलब एक डिग्री हासिल कर कोई छोटी-मोटी नौकरी करने तक ही सीमित नहीं है और शिक्षण संस्थान राजनीति के गढ़ बन गए हैं। राजनीति और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सीखने पर केंद्रित समान विषयों पर निर्भर करते हैं। इसका तथ्य यह है कि हर शिक्षक कभी छात्र था, हर नेता कभी प्रशिक्षु नेता था। हालाँकि, एक बात स्थिर रहती है, ज्ञान सर्वोपरि है। इन घटनाओं को यह बताने के लिए आवश्यक उदाहरण होना चाहिए कि राजनीति और शिक्षा में हमेशा एक सहजीवी बंधन रहेगा।

प्लेटो अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में बताते हैं कि समाज के लिए सरकारें क्यों जरूरी हैं। सरकार किस प्रकार की है या उसकी गुणवत्ता का व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर क्या असर होता है। दूसरे शब्दों में प्लेटो के अनुसार किसी समाज को बनाने या बिगाडने के पीछे सरकार का बड़ा हाथ होता है। राजनीतिक रूप से थोपा हुआ तर्क शिक्षा को नियंत्रित करने कि कोशिश कर रहा हैं। शिक्षा की स्थिति में सुधार एवं दुर्दशा दोनों का एक कारण शिक्षा में बहुत गहरे तक घुसी हुई राजनीति ही है। लोगों के एक बड़े समूह को लगता है कि शिक्षा में राजनीतिक दखलअंदाजी से किसी का भला नहीं होता है। यहां वे शिक्षा और राजनीति के संबंधों को देखने और समझने में भूल कर बैठते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों ने हमेशा से ही शिक्षा की सही प्रगति के लिए शिक्षा और राजनीति के बीच अलगाव को बेहद जरूरी बताया है। लेकिन शिक्षा इतिहासकारों ने दर्शाया है कि किस प्रकार सभी देशों की सरकारों के लिए शिक्षा हमेशा से ही एक प्रभावी राजनीतिक साधन बनकर रहा है। विदेशी या निरंकुश प्रशासनों के मामले में ऐसा खास तौर पर देखा गया है। भारतीय शिक्षा इतिहासकार भी अतीत में भारतीय शिक्षा नीति के राजनीतिक महत्व से इंकार नहीं कर सकते। आमतौर पर शिक्षा के दो क्षेत्र माने गए हैं - एक है स्थानीय, जिसे लोकल या लोकेशन आधारित कहा गया है और दूसरा है ग्लोबल यानी लोकव्यापी, सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। शिक्षा जिस दिन मुक्त विचारों का मानवीय संस्कार बनेगी उस दिन सरकार या राजनीति से नीति पैदा न होकर मनुष्यता की संस्कृति और संविधान की कृति से शिक्षा रची जाएगी और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, पाठ्यक्रम हो, पाठ्य पुस्तक हो, उन्हें इजलास में मुल्जिम बन कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जन-विवेक के संवेदन की अदालत में राजनीतिक ओछेपन से मुक्त नीति शिक्षा का सच्चा कलेवर गांधी के स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेशी, सर्वत्रमय वर्जन और सत्य की भूमि पर खड़ी मिलेगी।

**शब्द कोश:** शिक्षा, राजनीति, हस्तक्षेप, प्रगति एवं दुर्दशा, प्रभाव

## उद्देश्य

- शिक्षा प्रणाली में राजनैतिक हस्तक्षेप का अध्ययन।
- वर्तमान शिक्षा में राजनैतिक हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन।

## शिक्षा में राज्य एवं राजनैतिक हस्तक्षेप

नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक नैतिक एवं चारित्रिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अतिरिक्त राज्य की संस्कृति तथा सभ्यता भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है, यही कारण है कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों पर सदैव आदर्शवाद की छाप लगी रहती है। यही नहीं राजनीतिक व्यवस्था का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नीति राजसत्ता की वह परिकल्पना होती है, जो यह दिखाती है कि व्यवस्था को किन रास्तों से होकर कहाँ तक ले जाना है। इसकी भूमिका दिशा निर्देशक की होती है। राज्य नीतियाँ बनाता है और फिर उन नीतियों को अमल में लाने के लिए क्रियान्वयन की योजना का निर्माण करता है। अन्य नीतियों की तरह इस शिक्षा नीति का भी यही महत्व है यह शिक्षा का अवसर मुहैया कराने और उसका परिणाम प्राप्त करने के दृष्टिकोण को उजागर करती है। राज्य अपनी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, उद्योग आदि कई आनुषंगिक उपाय करता है। शिक्षा भी उनमें से एक है। शैक्षिक उत्पादों का उपयोग वह कार्यालयों, अनुसंधानों, व्यवसायों, उद्योगों आदि क्षेत्रों को गति देने के लिए करता है। चूँकि राज्य शैक्षिक उत्पादों का उपयोग करता है, इसलिए उसे नियंत्रित भी करता है। राज्य स्थापना के प्रारंभिक एवं मध्ययुगीन खंडों में भी शिक्षा, आज की तरह, न तो राज्याधीन थी और न ही राजकीय। भारत में अंग्रेज़ी राज के प्रारंभिक चरण तक शिक्षा राजकीय नियंत्रण से मुक्त और सामाजिक सरोकारों से निर्धारित और संचालित होती रही। पहले शिक्षा राजकीय नियंत्रण से मुक्त सामाजिक सरोकारों से संबद्ध थी, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षा समाज के नियंत्रण में न होकर राज्य के नियंत्रण में है। प्राचीन एवं मध्यकाल में उत्पादन प्रक्रिया औपचारिक नहीं थी। उस समय उत्पादन व्यक्तिगत, पारिवारिक या छोटे समूहों के द्वारा अनौपचारिक रूप से किया जाता था। इसलिए शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। शिक्षित लोगों की सीमित आवश्यकता के कारण शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की न तो अवधारणा थी और न ही आवश्यकता। कभी पेड़ों के नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते छात्र, कभी तख्ती पर इमला लिखते छात्र और कभी अपने हाथों पर अध्यापकों से डंडे खाते छात्र, शिक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता और महत्ता को दर्शाते थे। तब बैठने को सुविधाजनक डेस्क न सही, स्मार्ट क्लासरूम न सही, पर शिक्षा सौ फीसदी खरी थी।

परंतु अंग्रेज़ों के समय से ही धीरे-धीरे नियोजन के अवसरों का विस्तार होने लगा। धीरे-धीरे कल-कारख़ाने खुलने लगे, दफ़्तर, न्यायालय आदि का विस्तार होने लगा और व्यवस्थित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या में ज़रूरत होने लगी। इसीलिए १९वीं सदी के मध्य में, जब भारत में आधुनिक औद्योगीकरण का विस्तार होता है, लगभग तभी से यहाँ शिक्षा का भी विस्तार शुरू होता है। सन् १९७६ से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा १९७६ में किए गए जिस संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, उस के दूरगामी परिणाम हुए। आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों को राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बांटने की आवश्यकता हुई। १९ वीं सदी के शुरुआती चरण, जब से भारत में आधुनिक ढंग के सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत हुई, से लेकर २००८-२०१० तक विद्यालयों-महाविद्यालयों और उसमें पढ़नेवालों की संख्या लगातार बढ़ती रही। औद्योगिक-व्यावसायिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए तकनीकि जानकारों की जरुरत पड़ी। तकनीशियनों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए सरकारी और निजी स्तर पर तकनीकी संस्थाओं की भीड़ खड़ी कर दी गई। शैक्षिक संस्थाओं के विस्तार के प्रति राज्य की दिलचस्पी का कारण यह था कि उद्योग-धंधों का विस्तार हो रहा था, कई प्रकार के बैंक, कार्यालय, प्रतिष्ठान और व्यावसायिक संस्थाएँ अपने पंख पसार रही थीं। बदलते हुए सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहारों के अनुसार राजनीति शिक्षा का उपयुक्तिकरण करती है। आज राज्य ही पाठ्यवस्तु, पाठ्यचर्या, विद्यालय, शिक्षक आदि को नियंत्रित और निर्धारित करता है। बीसवीं सदी के महान शिक्षा शास्त्री पॉआलो फ्रेरे ने शिक्षा की भूमिका को इन शब्दों में व्यक्त किया है, कोई भी शिक्षा तटस्थ नहीं होती। शिक्षा या तो पालतू बनाती है या मुक्त करती है। शिक्षा वैसा कोई निरापद क्षेत्र नहीं जैसा सामान्यतः उसे माना या समझा जाता है। बल्कि यह शासक वर्ग की नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। जिसमें मुख्यतः तीन बातों का निर्धारण शासक वर्ग करता

आया है - पहला यह कि शिक्षा किसे दी जाये अर्थात् समाज के कौन से हिस्से तक शिक्षा सीमित रखी जाए, दूसरा, कितनी शिक्षा दी जाये, और तीसरा, क्या शिक्षा दी जाए, शिक्षा की विकास यात्रा को परख कर की जा सकती है। इतिहास में बहुत से वर्ग व जातियां अशिक्षित रहीं तो इसलिए नहीं कि वे अशिक्षित ही रहना चाहती थी। बल्कि उन्हें तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। आज भी अनेक वर्ग व जातियां निरक्षर पाई जाती हैं, इनमें भी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, यह स्थिति भी उन्हीं नीतियों की परिणीति है। इसलिए यदि हम शिक्षा के सम्बन्ध में चिंतन करना चाहते हैं या शिक्षा को लेकर समाज में बहस चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके केन्द्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मुद्दे रहेंगें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के कुलपति प्रो.जय रूप सिंह ने कहा कि शिक्षा के निजीकरण से सकारात्मक बदलाव संभव नहीं हैं। शिक्षा अब मुनाफा कमाने का जरिया बन गया है। शिक्षा का विकास सिर्फ नए विचारों को क्रियाशील करने पर ही हो सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति के अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप निश्चित तौर पर शिक्षा क्षेत्र में खराब परिणाम का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसने सुझाव दिया है कि नियुक्तियों को राजनीति से दूर रखा जाए। नई शिक्षा नीति के बारे में सुझाव देने के लिए गठित समिति ने यह भी कहा कि नियुक्तियों, स्थानांतरण, संबद्धता मंजूरी और संस्थाओं को अनुदान मान्यता, यहां तक परीक्षा परिणाम से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ बैठक के दौरान या पूरे देश में राज्यों के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक सम्पर्कों के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो उभर कर आया, वह 'राजनीतिक हस्तक्षेप' था।

## वर्तमान शिक्षा

वर्तमान शिक्षा पूर्णरूपेण दो भागों में विभक्त है एक पेड शिक्षा दूसरी नि:शुल्क शिक्षा इसे हम प्राइवेट और सरकारी भी कह सकते हैं। प्राइवेट शिक्षा की ओर अधिक लोगों का लगाव है शिक्षक और छात्र दोनों में शिक्षा के प्रति लगाव नहीं है। पहले छात्र अध्यापकों के लिए संपर्क में रहना पसंद करते थे किंतु अब छात्र और अध्यापक का संबंध खत्म हो चुका है। २००१ में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों पुरस्कार पाने वाली निर्मला देवी कहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गिरावट आई है, यह बात छात्र और अध्यापक के साथ ही पूरे समाज के लिए घातक है। शिक्षक और छात्र के बीच में आपसी संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं। इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं पहले शिक्षक अपने शिक्षक के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रति रहते थे। वह अपने शिष्य के बारे में पूरी जानकारी रखने के साथ ही समय-समय पर माता-पिता से चर्चा भी करते थे। आज के वातावरण में इस क्षेत्र में महती कमी आई है। वर्तमान शिक्षा हमारे आंतरिक प्रकृति के एक अंश का तो विकास करता है पर शेष को बोझ के रूप में ढोने के लिए छोड़ देता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त शासन एवं प्रशासन और व्यवसाय जैसे तत्वों की समाविष्ट होने के कारण इसकी दशा और दिशा एक सामान शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। इसका मूल उद्देश अक्षर ज्ञान से शुरू होकर जीविकोपार्जन के किसी साधन तक सीमित हो चुका है। जिसके चलते मनुष्य का सर्वांगीण विकास बाधित होता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं। परंतु वह भी उपयोगिता मनुष्य को भौतिक संसाधनों के चरम सुख की तरफ ले जाती है। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता होती है। ताकि हमारी शारीरिक आर्थिक और सामाजिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सके तथा इस आधार पर ही किसी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षा पद्धति में आर्थिक आवश्यकता के अतिरिक्त कोई अन्य आवश्यकता को आवश्यकता नहीं समझने की भूल ही जाती है। जिसके चलते समस्याओं को का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण वर्तमान शिक्षा पद्धति में भाषा का समस्या प्रमुख है। जबकि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मातृभाषा में ही मौलिक चिंतन होने की पुष्टि की गई है। अतः मातृभाषा में प्राप्त शिक्षा मौलिक शोध अविष्कार ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक निश्चित लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा और शिक्षा के व्यवसाय ने पारंपरिक शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया है। स्कूलों का सामाजिक स्तर उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग जैसा वर्गीकरण बंद होना चाहिए। शिक्षा का संचरण भावनात्मक जुड़ाव और आत्मीय संबंधों के माध्यम से होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ उन्हें दी जा रही शिक्षा का भी मूल्यांकन हो सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की मूल्यांकन पद्धति में सिर्फ विद्यार्थियों का ही मूल्यांकन किया जाता है। उन्हें कैसी शिक्षा मिली इसका कोई प्रमाण नहीं होता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और इससे जुड़ी समस्याओं पर मैकाले को पूछना उचित है। देश में शिक्षा की हालत बेहद ही खराब है। शिक्षा के लिए देशभर में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन फिर भी प्राथमिक स्तर से ही

शिक्षा की स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में इस गिरावट के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो हम पाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन की नींव होती है। इसी पर उस व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य तय होता है। अगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी हो, तो बच्चे की भविष्य की चिंता आप नहीं कर सकते। भारत देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ में बना। यह ६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने कहा कि राजनितिक रूप से थोपा हुआ तर्क शिक्षा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। प्रो. पटनायक ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी है, अतिथि शिक्षकों से कम चल रहा है। वे भी पर्याप्त नहीं हैं। आज तर्क आधारित बहस पर हमला हो रहा है। साक्ष्य सत्य तक पहुचने का मुख्य जरिया रहता है किन्तु आज सत्य तक पहुँचने की पद्धति पर ही हमला हो रहा है। इन्हीं वजहों से विज्ञान और मिथक में फर्क नहीं रह गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अब फेज चेंजिंग का दौर आ गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए देश में नई शिक्षा नीति का ऐलान किया। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० युवाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। यह छात्रों को दुरुस्त रहने के अवसर देती है और उनके मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में भी मदद करती है।

## उपसंहार

सरकारी स्कूलों की लगातार गिर रही साख एक गंभीर चिन्ता का विषय है। भूमंडलीकरण के दौर में शिक्षा के नवीन एवं लीक से हटकर प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत में सरकारी स्कूलों का भविष्य क्या होगा ? यह एक अहम् सवाल है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप देने का सुझाव दिया है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि उसके अपने खतरे हैं। प्राइवेट स्कूलों की वकालत करने की बजाय सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संभावनाओं को तलाशें और बिना राजनैतिक हस्तक्षेप के लागू करें ताकि योजना आयोग को सरकारी स्कूलों को प्राइवेट क्षेत्र में देने का सुझाव न देना पड़े। राजनीति दखल ने शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना दिया है। जब तक यह दखल बंद नहीं होगा तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया जा सकता है। साक्षरता और शिक्षा में बस यही अन्तर है कि साक्षरता पुस्तकों में कैद होती है, लेकिन शिक्षा संवेदनशीलता और सहृदयता के पंख लगाकर संकल्पशक्ति के साथ विचारों की अट्टलिकाओं पर बैठी होती है जिसका खुलापन सद्भाव का एक आकाश निर्मित करता है जिसके तले मानव सभ्यता अपने परिवेश के साथ आनन्द और सुख की अनुभूति करता है। शिक्षकों का बदलते दौर के साथ शिक्षा के प्रति अपना नजरिया दुरुस्त करने की सलाह देनी चाहिए। शिक्षा से संबंधित बड़े फैसलों में शिक्षकों के विचारों को जगह देनी चाहिए, यहां शिक्षकों का मतलब शिक्षकों की राजनीति से जुड़ी इकाइयां बिल्कुल नहीं है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य २१ वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

## संदर्भग्रंथ

1. सुरेश कुमार, राजनितिक दखल से बेदखल होती शिक्षा, १५ अगस्त २०१७, दिव्य हिमालय।
2. डॉ. विजय विशाल, शिक्षा में गुणवत्ता, १० जुलाई २०१८, हस्तक्षेप।
3. प्रो. पीटर, शिक्षा में राजनीतिक दखल ठीक नहीं, २७ अक्टूबर २०१३, अमर उजाला, चंडीगढ़।
4. सरकारी समिति, सियासी दखल शिक्षा की खराब हालत की बड़ी वजह, १६ जून, २०१६, जी न्यूज़।
5. जागरण संवाददाता, शिक्षा में बंद हो राजनितिक हस्तक्षेप, ४ सितम्बर २०१४, दैनिक जागरण, रायबरेली।
6. चौधरी पी. बी., सामाजिक एवं राजनैतिक, १३ फरवरी २०२०।
7. प्रो. पटनायक प्रभात, भारत की शिक्षा संकट, २३ सितम्बर २०१८, आईनेक्स्ट लाइव, बरेली।